



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या: एचआरएम-1/ए-8(1)2025/आरपीएफसी-1/717

दिनांक:01/08/2025

कार्यालय आदेश

विषय: नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर पदोन्नति के लिए दिनांक 12.02.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, माननीय अध्यक्ष, कें.न्य.बो.,क.भ.नि., श्री राजीव कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (तदर्थ), श्री निकुंज मीणा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (तदर्थ) और श्री संतोष जायसवाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (तदर्थ) को पैनल वर्ष 2025 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर नियुक्त करने की सहर्ष मंजूरी देते हैं।

2. नियमित पदोन्नति पर, अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. अधिकारियों की वरिष्ठता ईपीएफ स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, निम्नलिखित डीओपीटी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा: "ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी ब्रेक के नियमित नियुक्ति होती है, प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तारीख से विकल्प स्वीकार्य है, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

5. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के रूप में अधिकारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट rc1.hrm@epfindiagov.in पर ईमेल के माध्यम से एच आर एम, मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

6. उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति माननीय कैट, पटना के समक्ष दायर ओए संख्या 435/2021 (संबंधित एमए) और माननीय कैट, पटना पीठ के समक्ष दायर सीपी संख्या 19/2024 के परिणाम के अधीन है।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)

सेवा में,

- I. श्री राजीव कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1(आंचलिक कार्यालय, गुजरात के माध्यम से)
- II. श्री निकुंज मीणा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (पीडीनास के माध्यम से)
- III. श्री संतोष जायसवाल, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (आंचलिक कार्यालय, बांद्रा के माध्यम से)

प्रतिलिपि:(संबंधित क.भ.नि.सं.वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष कें.न्य.बो.,क.भ.नि. के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
4. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/अपर.कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अपर.कें.भ.नि.आ, मुख्यालय और अंचल/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्रीय आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षेत्रीय आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय/ क्षेत्रीय आयुक्त (एनडीसी)।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ क्षेत्रीय आयुक्त आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)